सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 26, गुरूवार, शाके 1944-जून 16, 2022 *Jyaistha 26, Thursday , Saka 1944- June 16, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-3

अधिसूचना

जयपुर, जून 15, 2022

जी.एस.आर.48 :-राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, लोकायुक्त के परामर्श से, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन.- राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अधीन नियम 9 के उप-नियम (1) में विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) सहायक सचिव के पद के लिए, सेवा में के ऐसे अनुभागाधिकारी पात्र होगें जिन्होंने पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और जो पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त है।"

3. नये नियम 10क का अंत: स्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के पश्चात और विद्यमान नियम 11 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 10क अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10क. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- आपवादिक मामलों में जहां लोकायुक्त का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां लोकायुक्त की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधो को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी

मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा :

परन्तु,-

(I) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा।

(II) इन नियम के अधीन विहित सेवा या अनुभव की कालावधि में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने से पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।"

[संख्या एफ.6 (7)डीओपी/ए-।।।/2013]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ0 प्रिया बलराम शर्मा,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-III
NOTIFICATION
Jaipur, June 15, 2022

G.S.R.48 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 read with section 21 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973), the Governor of Rajasthan, in consultation with the Lokayukta, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Officers (Conditions of Service) Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Officers (Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 9.- In sub-rule (1) of rule 9 of the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Officers (Conditions of Service) Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, the existing clause (b) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) for the post of Assistant Secretary, such of the Section Officers in the service shall be eligible who have completed three years service on the post and are otherwise fit for promotion."

3. Insertion of new rule 10A.- After the existing rule 10 and before the existing rule 11 of the said rules, the following new rule 10A shall be inserted, namely :-

"10A. Power to relax the rules.- In exceptional cases where the Lokayukta is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Lokayukta is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, he may by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that,-

(i) such relaxation shall not be less favorable than the provisions already contained in these rules.

(ii) relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee."

[No. F. 6(7)DOP/A-III/2013]
By order and in the name of Governor,
DR. PRIYA BALRAM SHARMA,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.